पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत अंचल–दुल्हिन बाजार एवं बिक्रम के सोन नदी पर (घाट संख्या– 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एव घाट– 31) से बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

दिनांकः 26.09.2020 को पंचायत भवन, हैवसपुर, थाना–रानीतलाब, जिला–पटना में राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, मेसर्स मृगालय इंटरप्राइजेज प्रा0 लि0, श्री सत्यानन्द राय, श्री प्रमोद कुमार, मेसर्स साहाबाद कंस्ट्रक्शंस, श्री संतोष यादव, मेसर्स बासुकीनाथ ट्रेडर्स, मेसर्स नव दुर्गा ऑटोमोबाइल्स के द्वारा प्रस्तावित बालू घाटों के लिए निर्गत क्रमशः टी0ओ0आर0 पत्र संख्या–SIA/1(a)/1101/2020, 1102/2020, 1103/2020, 1105/2020, 1106/2020, 1107/2020, दिनांक 22.07.2020, एवं SIA/1(a)/1108/2020, 110/2020, दिनांक 24.07.2020 के आलोक में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। श्री विनायक मिश्र, अपर जिला दण्डाधिकारी (सा0), पटना (जिलापदाधिकारी, पटना द्वारा मनोनीत) के द्वारा इस लोक–सुनवाई की अध्यक्षता की गयी।

उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– द टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांकः 25.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पटना के पदाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति लोगों एवं सभी सम्बन्धित सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व लोक सुनवाई कराने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि इस बालू खनन योजना से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में लोगों के सुझाव या आपत्ति प्राप्त किया जायेगा।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बालू खनन योजना की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, इन्वायरमेंटल मैनेंजमेंट प्लान एवं कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रेस्टपॉन्सिबिलिटी (सी.ई.आर.) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। सलाहकार द्वारा बताया गया कि गीली बालू का परिवहन नहीं होगा, बालू का परिवहन तिरपाल से ढ़क कर किया जायेगा ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। नदी के किनारे और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य

किया जाएगा। बालू खनन योजना में सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन किया जायेगा। बरसात के मौसम में खनन कार्य बंद रहेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत् परियोजना लागत का 2 प्रतिशत स्थानीय सुविधा एवं विकास के कार्यो में खर्च किया जायेगा। इसके उपरांत लोक–सुनवाई में उपस्थित लोगों से इस परियोजना के आलोक में पर्यावरण से संबंधित संभावित प्रभावों के नियंत्रण एवं निवारण हेतु सुझाव/आपत्ति आमंत्रित किये गये, जो निम्नवत् है :–

1. श्री अक्षय कुमार, बरेर द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मदद के लिए खर्च का ब्यौरा स्पष्ट करने तथा सी.ई.आर. में खर्च की राशि 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10–15 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया।
2. श्री भोला यादव, बहलादपुर द्वारा बालू के परिवहन से अक्सर सड़क से आवागमन अवरूद्व होने की समस्या बतायी गयी। साथ ही धुलकंण के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव सुनिश्चित करने को कहा गया। लेबर की सुविधा के लिए शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. श्री राकेश कुमार, बुधु छपरा द्वारा बताया गया कि वाहन से होने वाले ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए।
4. श्री उदय सिंह, बरेर द्वारा बताया गया कि बालू खनन से यहां के लोगों का जमीन बर्बाद होता है, वाहनों के आवागमन से खेतों में धुलकंण जमा हो जाता है।
5. श्री मृत्युन्जय सिंह, बरेर द्वारा बताया गया कि बालू को ढ़ोने के क्रम में वाहनों से सड़कों में गढ़े हो जाते है जिसका समय–समय पर मरम्मति सुनिश्चित करना चाहिए।

लोक–सुनवाई के समापन से पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित लोगों के द्वारा सक्रिय भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए बताया गया कि बालू खनन परियोजना से संभावित कुप्रभावों के नियंत्रण हेतु लीजधारक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय प्रबंध योजना के तहत् बताये गये सभी कार्य करेंगे। लोगों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोवीड–19 प्रभाव से बचने के लिए योजना में जुड़े सभी लोगों को सैनिटाइजर, थर्मल स्केनिंग एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा जिसकी व्यवस्था प्रस्तावक सुनिश्चित करेंगे।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को इस प्रस्तावित खनन योजना की स्वीकृति की अनुशंसा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(मनोरंजन कुमार सिंह) सहा0 वैज्ञानिक पदा0 बि0रा0प्र0नि0पर्षद	(एस.पी.राय) पर्यावरण अभियंता बि0रा0प्र0नि0पर्षद्	(विनायक मिश्र) अपर जिला दण्डाधिकारी पटना

उपस्थिति सूची

मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, मेसर्स मृगालय इंटरप्राइजेज प्रा० लि०, श्री सत्यानन्द राय, मेसर्स बासुकीनाथ ट्रेडर्स श्री प्रमोद कुमार, मेसर्स सहबाद कंस्ट्रक्शंस, श्री संतोष यादव, मेसर्स नव दुर्गा ऑटोमोबाइल्स द्वारा पटना जिला, अंचल- दुल्हिन बाजार एवं बिक्रम के सोन नदी पर (पटना सोन कलस्टर-4A) सोन घाट- 24, सोन घाट- 25, सोन घाट- 26, सोन घाट- 27, सोन घाट- 28, सोन घाट- 29, सोन घाट- 30, एवं सोन घाट- 31 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 26.09.2020 (शनिवार) को 10:30 बजे पूर्वाह्न में पंचायत भवन, हैवसपुर, गोना, थाना-रानीतलाब जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	विनायक मिश्र	अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना	[signature] 26/09/2020
2.	एस. पी. राय,	पर्यावरण अभियंता बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	[signature] 26-9-2020
3.	मनोरंजन कुमार सिंह	सहा० वैज्ञानिक पदाधिकारी बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	[signature] 26-9-20
4.	कुन्दन कुमार शर्मा	EIA Consultant	[signature]
5.	मो० राशिद आफताब	EIA Consultant	[signature]
6.	संतोष कुमार	जनपारा	[signature]
7.	कमलेश कुमार यादव	ग्राम परेव थाना बिहटा जिला पटना	
8.	संतोष यादव	ग्राम- एकवालगंज बिसरपुरा थाना- रानीतलाब जिला (पटना)	
9.	कृष्णा मुरारी C/O Nav Durga Automobiles	Bihta, Patna	[signature]
10.	सत्यानन्द राय	नासरीगंज दानापुर पटना	सत्यानन्द राय
11.	योगेन्द्र कुमार सिंह	दरवेशपुर मनेर पटना	योगेन्द्र कुमार सिंह
12.	प्रमोद कुमार	अनिशाबाद पटना	प्रमोद कुमार
13.	Sanjay Kumar	Haibaspur	Sanjay Kumar
14.	प्रमोद कुमार	नासरीगंज (दानापुर	प्रमोद कुमार
15.	अनुराम कुमार	जनपारा	अनुराम कुमार
16.	प्रशांत कुमार	जनपारा	Prashant

17.	Amrendra kr	Datiyana Patna	[signature]
18.	Gaurav Kumar	Janpara	gaurav Kumar
19.	Gautam Sharma	Janpara	Gautam
20.	Dharmendar Sharma	Raghopur	[signature]
21.	Dilip Kumar Singh	Raghopur	[signature]
22.	SANJEET KUMAR	"	SANJEET KU
23.	Rupesh kumar	Patna	[signature]
24.	Ram Kumar Singh	Maner	[signature]
25.	Bimal Kumar	Barah.	8292451083
26.	Jai Ray k	Biram	7667539808
27.	Sufal Rai	MANER	790390477C
28.	Mukesh chaudhry	patut	6206107938
29.	Raghvendra Kumar	Berar	6202308462
30.	Amit Ranjan	Berar	6202417864
31.	UDAY SINGH	Jampur	7033126469
32.	Akshay kumar	Berar	9431887584
33.	रणधीर कुमार	राघोपुर	9939253253
34.	मनोज कुमार	मनौवा	8676920100
35.	श्यामसुन्दर शर्मा	मसौढ़ी	8810424915
36.	[illegible] कुमार	[illegible]	9430142496
37.	[illegible]	[illegible]	7522874982
38.	[illegible] यादव	मनेर	[illegible]
39.	Rai Shankar yadav	Lahlalpur	Rai Shankar yadav
40.	मनोज कुमार	मनेर	Manoj [signature]

41.	Niraj Kumar	Maner	Niraj Kumar
42.	RAVI KUMAR RAY	MANER	Ravi Ray
43.	रविन्द्र सिंह	MANER	[illegible]
44.	[illegible]	मनेर	[illegible]
45.	Dharmendra Kumar	Bihta	[illegible]
46.	KRISHNA KANT	BARAR	[illegible]
47.	[illegible] सिंह	मनेर	Rajesh kumar
48.	सोनू कुमार शर्मा	(बराह)	Sonu Kumar
49.	राम कुमार	सरधा छपरा	रामकुमार
50.	मन्टू कुमार	निसरपुर	मन्टू कुमार
51.	राजा कुमार	मसौढ़ा	राजकुमार
52.	Ravi Shankar Sharma	Masaurha	Ravi Shankar
53.	Rahul Kumar	~~काब~~ निसरपुरा	Rahul Kumar
54.	Mrityunjay Kumar	Kab	Mrityunjay
55.	Rajesh Kumar	Kab	Rajesh Kumar
56.	राजू तिवारी	Kab	Raju Tiwari
57.	श्रीकान्त सिंह	काब	श्रीकान्त सिंह
58.	Ranjan Kr.	Kab	Ranjan Kr
59.	Munna Kr	काब	Munna Kr
60.	Chandan Kumar	Kab	Chandan Kr
61.	Vivek Kr	haibaspur	[illegible]
62.	Rahul Kr.	Haibaspur	Rahul Kr.
63.	Manish Kumar.	Haibaspur.	Manish
64.	Omesh Kumar	Rasabajar	Omesh